राजेन्द्र - गोमाराम  मु.न. 311/11

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 19.11.24 | पत्रावली पेश। वादी पूर्व कारवाही पक्षकारान दिनांक 11.12.24 को पेश हो। [illegible]<br><br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एव<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | |
| 11.12.24 | पत्रावली पेश। वक्त उपलब्ध नहीं। पत्रावली वास्ते कारवाई दिनांक 31.12.24 को पेश हो। [illegible]<br><br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एव<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर |
| 31.12.24 | पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी मीटिंग में है अतः पत्रावली वास्ते पूर्व कार्यवाही दिनांक 3.1.25 को पेश हो। [illegible]<br><br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | |
| 3.1.25 | पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [illegible]<br><br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एव<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | |

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 311/2011

1 राजेन्द्र मृत
1/1 सुमित्रा देवी पत्नी राजेन्द्र
1/2 नवीन पुत्र
1/3 नितिन पुत्र
1/4 हर्षित पुत्र राजेन्द्र जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुमित्रा देवी
समस्त जाति यादव निवासीगण राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गोरूराम पुत्र कालूराम उर्फ नारायण
2 सुरजाराम पुत्र कालूराम उर्फ नारायण जाति यादव निवासीगण राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 बलबीर पुत्र गोरूराम
4 मनोज पुत्र गोरूराम
5 रामदेव मृत पुत्र बालुराम
5/1 खेताराम पुत्र रामदेव जाति अहीर निवासी रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 मूला पुत्र बालुराम जाति यादव निवासीगण राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 श्योपाल पुत्र गोविन्दा मृत
7/1 प्रेम देवी पत्नी श्योपाल
7/2 पप्पू यादव पुत्र श्योपाल
7/3 जितेन्द्र पुत्र श्योपाल
7/4 किरण पुत्री श्योपाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 फूलचन्द पुत्र गोविन्दा
9 रतन पुत्र गोविन्दा
10 मु. चावली बेवा गोविन्दा
समस्त जाति यादव निवासीगण राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 नरसी पुत्र चन्द्रा
12 काना पुत्र चन्द्रा
13 जगमाल मृत
13/1 भागोती पत्नी जगमाल
13/2 सुनिल पुत्र जगमाल
13/3 जितेन्द्र पुत्र जगमाल
14 भगवानी पत्नी चन्दाराम मृत
14/1 मनोहरी पुत्री चन्द्राराम
14/2 विमला पुत्री चन्द्राराम
समस्त जाति यादव निवासीगण राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
15 अब्दुल सलीम चौबदार पुत्र अब्दुल गनी चौबदार जाति मुसलमान निवासी राणोली तहसील दांतरामगढ़ जिला सीकर।
16 बृजमोहन मृत
16/1 श्रीचन्द पुत्र
16/2 जयकुमार पुत्र
16/3 औमप्रकाश पुत्र
16/4 कंचन पुत्री
16/5 सुलोचना पुत्री
16/6 संतोष पुत्री
16/7 मैना पुत्री बृजमोहन
16/8 मोहनी बेवा बृजमोहन
समस्त जाति जैन निवासीगण राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
17 तहसीलदार दांतारामगढ़।
18 उप पंजीयक पलसाना।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

19 हल्का पटवारी राणोली।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर दावा संख्या 135/2009 उनवानी राजेन्द्र बनाम गौरूराम आदि दिनांकित 22.09.2011

उपस्थिति :

1. श्री मनोज भार्गव, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नेमीचन्द पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 3.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 135/2009 में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा तथा रिकार्ड संसोधन बाबत भूमि खसरा नम्बर 848, 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

...कारी एवं पदेन राजस्व ...
सीकर

859, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 850/1561 वाके ग्राम रानोली दांतारामगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा बिना पक्षकारान की बहस सुने बिना ही सरसरी तौर पर निराधार रूप से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया गया है, क्योंकि पत्रावली की पूर्व आदेशिकाओं के अवलोकन से यह पूर्णतया साबित है कि पत्रावली प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की बहस के लिए नियत नहीं होकर प्रार्थना पत्र एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश को अपास्त करवाने हेतु के जवाब हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में मनमाने रूप से यह अंकन किया गया है कि 48 वर्ष पहले प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के पिताओं ने जो राजीनामा करके निर्णय करवाया है, उसको चेलेंज करना ऐसा प्रतीत होता है कि यह विवाद अकारण बढ़ाया गया है और पिता के राजीनामें को तोड़ना भी सिद्ध होता है राजीनामा के अनुसार फेसला होना उसको पुनः शुरू करना रेस ज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से प्रस्तुत किये गये जिस आवेदन अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार किये जाने का निर्णय व डिक्री पारित की गयी है उसका मुख्य आधार केस ज्यूडिकेटा को बताया गया है और विचारण न्यायालय द्वारा भी रेस ज्यूडिकेटा के आधार पर आवेदन स्वीकार किया गया है। रेस ज्यूडिकेटा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की परिधि के नहीं आता है तथा ना ही इसे प्राथमिक स्टेज पर निर्णित किया जा सकता है, क्योंकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार रेस ज्यूडिकेटा विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न होता है जिसे जवाब

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दावा लेकर तनकी बनाने के बाद सबूत साक्ष्य लेने के बाद ही निस्तारित किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा जिस पूर्व निर्णय के आधार पर रेस ज्यूडिकेटा होने का निष्कर्ष दिया गया है, उसमें अपीलान्ट पक्षकार नहीं था तथा ना ही उक्त पूर्व निर्णय राजीनामा पर अपीलान्ट के पिता के कोई हस्ताक्षर है तथा राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री के मामले में रेस ज्यूडिकेटा प्रावधान लागू नहीं होते है। इसके बावजूद भी गलत भी गलत रूप से विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किये जाने में भारी कानूनी भूल कारित की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में वर्ष 2009 में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि विवादित भूमियों के संदर्भ में पक्षकारों के पूर्वजों की सहमति से वाद संख्या 56/68, 82/68 में विवाद का निस्तारण हो चुका है। अतः प्रस्तुत वाद रेसज्यूडिकाटा से बाधित होने के कारण वाद पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार कर वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.07.2011 के अनुसार दिनांक 26.07.2011 को पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने के जवाब हेतु नियत की गई थी। पत्रावली आदेश 07 नियम 11 की सुनवाई हेतु नियत ही नहीं थी। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलांट का वाद आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर